UPJS010066602023

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थित- **जयतेन्द्र कुमार** (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जेओ कोड नं०- यूपी० ५९८३

सीएनआर नं०- यूपीजेएस- ०१- ००६६६०- २०२३

सत्र वाद सं०- १३५४ सन २०२३

सरकार **बनाम** **ज्ञान सिंह आदि**

मु०अ०सं०- १८४ सन २०२३

धारा- ३२३, ३२४, ३२५, ३०८, ५०४,

५०६ भा०दं०सं०

थाना- सीपरी बाजार, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं जयतेन्द्र कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी आप अभियुक्तगण **१- ज्ञान सिंह, २- मनीष यादव, ३- लाल सिंह** के विरूद्व निम्नलिखित आरोप लगाता हूंः-

प्रथमः- यह कि दिनांकः- २१. ०४. २०२३ को समय १०. ०० बजे बहद स्थान- पेश दरवाजा मजरूबगण खोड़न के०के० पुरी कालोनी, अन्तर्गत थाना- सीपरी बाजार, जिला- झांसी में आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसारण में एक राय होकर वादिनी मुकदमा श्रीमती मनीषा यादव के पिता गुलाब सिंह , भाई रवि यादव, बहन ज्योति यादव व भाभी प्रियंका यादव को लाठी- डण्डो, कुल्हाड़ी से मारपीट करके चोटें पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की **धारा- ३२३/ ३४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयः- यह कि उपर्युक्त वर्णित घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसारण में एक राय होकर वादिनी मुकदमा के पिता गुलाब सिंह, भाई रवि यादव, बहन ज्योति यादव व भाभी प्रियंका यादव को लाठी- डण्डो, कुल्हाड़ी व लाईसेंसी बन्दूक आदि खतरनाक आयुध द्वारा प्रहार कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की **धारा- ३२४/ ३४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयः- यह कि उपर्युक्त वर्णित घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसारण में एक राय होकर वादिनी मुकदमा के पिता गुलाब सिंह, भाई रवि यादव, बहन ज्योति यादव व भाभी प्रियंका यादव को लाठी- डण्डो, कुल्हाड़ी व लाईसेंसी बन्दूक से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की **धारा- ३२५/ ३४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थः- यह कि उपर्युक्त वर्णित घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसारण में एक राय होकर वादिनी मुकदमा के भाई रवि यादव को इस आशय या ज्ञान से उसके सिर पर लाठी, डण्डों व कुल्हाड़ी व बन्दूक से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाकर घायल कर दिया गया। यदि आप लोगों के उपरोक्त कृत्य से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की **धारा- ३०८ / ३४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमः- यह कि उपर्युक्त वर्णित घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के पिता गुलाब सिंह, भाई रवि यादव, बहन ज्योति यादव व भाभी प्रियंका यादव को गाली गलौज कर लोक शांति

Digitally signed by JAITENDRA KUMAR
Date: 2023.12.20 17:41:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भंग करने के आशय से साशय प्रकोपित कर अपमानित करने का अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की **धारा- ५०४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टमः- यह कि उपर्युक्त वर्णित घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के पिता गुलाब सिंह, भाई रवि यादव, बहन ज्योति यादव व भाभी प्रियंका यादव को जान से मारने की धमकी देकर उनका आपराधिक अभित्रास कारित किया है। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की **धारा- ५०६** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आप लोगों को निर्देश देता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः- २०. १२. २०२३

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

आरोप अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः- २०. १२. २०२३

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।